निदेशालय गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।

फोन :– 0141–2612591, फैक्स : 0141–2613407, ई–मेल : sso1rajhg@hotmail.com
Website : http://rajasthanhomeguards.gov.in/

क्रमांकः निगृर/स्था/ई–1 (7–1)2020/- 13480-13538 दिनांक- 30/4/2020

स्थाई आदेश संख्या–12/2020

अवकाश नीति

यतः गृह रक्षा विभाग, राजस्थान में पदस्थापित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विभिन्न प्रकार के अवकाश स्वीकृति के सम्बन्ध में पूर्व में कोई नीति निर्धारित नहीं है, अतः निदेशालय एवं अधीनस्थ इकाईयों में पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु **अवकाश नीति** का निम्नानुसार निर्धारण किया जाता है :–

(क) सी.टी.आई., सीमा गृह रक्षा दल तथा गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र में पदस्थापित अधिकारी/कर्मचारी

1. निदेशक, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर, समस्त गण समादेष्टा, सीमा गृह रक्षा दल, राजस्थान तथा समस्त जिला कमाण्डेन्ट, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान के **समस्त** प्रकार के अवकाश महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।
2. उपरोक्त के अतिरिक्त केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, सीमा गृह रक्षा दलों एवं गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों में पदस्थापित अन्य सभी राजपत्रित अधिकारी व कर्मचारियों के समस्त प्रकार के अवकाश संबंधित निदेशक, गण समादेष्टा तथा जिला कमाण्डेन्ट द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।

(ख) निदेशालय में पदस्थापित अधिकारी एवं कर्मचारी

(i) आकस्मिक, ऐच्छिक एवं राजपत्रित अवकाश :–

1. निदेशालय में पदस्थापित सभी **राजपत्रित अधिकारियों** के आकस्मिक, ऐच्छिक एवं राजपत्रित अवकाश महानिदेशक गृह रक्षा, राजस्थान द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।
2. समस्त **शाखा प्रभारियों** के आकस्मिक, ऐच्छिक एवं राजपत्रित अवकाश **संबंधित** वित्तीय सलाहकार/उप महासमादेष्टा/सीनियर स्टाफ आफिसर/जूनियर स्टाफ आफिसर की **अनुशंषा** पर महानिरीक्षक, गृह रक्षा द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे। किसी समय महानिरीक्षक, गृह रक्षा पदस्थापित नहीं रहने की स्थिति यह अवकाश अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, गृह रक्षा द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।
3. उपरोक्त दोंनों बिन्दुओं में वर्णित लेखा शाखा के अधिकारियों/कर्मचारियों को छोडकर लेखा शाखा में पदस्थापित शेष कर्मियों के आकस्मिक/ऐच्छिक/राजपत्रित अवकाश वित्तीय सलाहकार द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।
4. निजी सचिव/निजी सहायक का अवकाश संबंधित नियंत्रक अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

d/

5. उपरोक्त चारों श्रेणियों के अतिरिक्त शेष समस्त कर्मियों का अवकाश **सम्बन्धित** उप महासमादेष्टा/सीनियर स्टाफ आफिसर/जूनियर स्टाफ आफिसर की **संस्तुति** पर उप महासमादेष्टा–प्रथम (कार्यालयाध्यक्ष) द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

(ii) उपार्जित, रूपान्तरित, अर्द्व वैतनिक, असाधारण, चाईल्ड केयर , पितृत्व, मातृत्व एवं अन्य अवकाश :–

1. समस्त **राजपत्रित अधिकारियों** के उक्त अवकाश महानिदेशक गृह रक्षा, राजस्थान द्वारा ही स्वीकृत किये जायेंगे।
2. सभी **शाखा प्रभारियों** के उक्त अवकाश वित्तीय सलाहकार/उप महासमादेष्टा/सीनियर स्टाफ आफिसर/जूनियर स्टाफ आफिसर की **संस्तुति** पर महानिरीक्षक, गृह रक्षा द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे। पत्रावली सीनियर स्टाफ आफिसर (संस्थापन) तथा उप महासमादेष्टा–प्रथम (कार्यालयाध्यक्ष) के माध्यम से प्रस्तुत की जायेगी।
3. निजी सचिव/निजी सहायक के उक्त श्रेणी के अवकाश नियंत्रक अधिकारी की अनुशंषा पर उप महासमादेष्टा–प्रथम (कार्यालयाध्यक्ष) द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।
4. उपरोक्त श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य सभी कर्मियों का उक्त श्रेणी का अवकाश **सम्बन्धित** वित्तीय सलाहकार/उप महासमादेष्टा/सीनियर स्टाफ आफिसर/जूनियर स्टाफ आफिसर की **संस्तुति** पर उप महासमादेष्टा–प्रथम (कार्यालयाध्यक्ष) द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

निदेशालय में पदस्थापित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के समस्त प्रकार के अवकाशों का रिकार्ड संधारण पूर्व की भांति संस्थापन शाखा में ही किया जायेगा।

यह आदेश 01 मई 2020 से प्रभावशील होंगे।

ई.ओ.बी.............

30.4.2020

(राजीव दासोत, IPS)
महानिदेशक,
गृह रक्षा, राजस्थान,
जयपुर।

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अति. महानिदेशक पुलिस, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. महानिरीक्षक पुलिस, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. उप महासमादेष्टा, प्रथम/द्वितीय, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. सीनियर स्टाफ आफिसर, प्रथम/द्वितीय, निदेशालय, गृह रक्षा, जयपुर।
7. समस्त गण समादेष्टा, सीमा गृह रक्षा दल, राजस्थान।
8. समस्त जिला कमाण्डेन्ट, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान।
9. निजी सचिव, महानिदेशक, निदेशालय, गृह रक्षा, जयपुर।
10. जूनियर स्टाफ आफिसर, निदेशालय, गृह रक्षा, जयपुर।
11. समस्त शाखा प्रभारी, निदेशालय, गृह रक्षा, जयपुर।
12. प्रभारी, राज.गृह रक्षा वेबसाईट।
13. गार्ड फाईल।

महानिदेशक,
गृह रक्षा, राजस्थान,
जयपुर।